न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 03/2023

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. आदूराम पुत्र घेवरराम 2. जालाराम पुत्र घेवरराम 3. पेमाराम पुत्र घेवरराम 4. हवादेवी पत्नी घेवरराम जातियान– मेघवाल, निवासीगण– ढाढणिया, सासण तहसील बालेसर जिला जोधपुर।		1. मोहनराम पुत्र रूपाराम जातियान– मेघवाल, निवासीगण– ढाढणिया, सासण तहसील बालेसर जिला जोधपुर। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बालेसर जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 21.11.2022 उपखण्ड अधिकारी, बालेसर के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 21/2022 अनवान मोहनराम बनाम सरकार में पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री जगदीश प्रजापत, अपीलान्टस की ओर से।
2–श्री सुगनमल परिहार, सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता रेस्पो.संख्या 1 की ओर से ।
3– श्री नवल सिह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 3 जुलाई 2023

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि उनकी एकल खातेदारी की भूमि खेत ख0सं0 247/2 ख0सं0 247/20 व ख0सं0 247/8 ग्राम ढाढणिया सांसण में आई हुई है जिस पर प्रार्थी खातेदार व काश्तकार काबिज काश्त करते आ रहे है। उनकी खसरान भूमि के पडौसी खेतों की सीमा के कोई पक्के मुटाम मौके पर नहीं है जिसके कारण उनकी भूमि की सीमा का ज्ञान नहीं है और हर समय पडौसी खातेदार सीमा विवाद को लेकर परेशान करते रहते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि सीमाचिन्हों से नाप कर मौके पर भूमि की पत्थरगढी करवाने के आदेश प्रदान करावें। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या एक के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज करते हुए राज्य पक्ष से जवाब प्राप्त करते हुए अपीलाधीन आदेश के जरिये उक्त खसरान भूमि की पैमाइश कर पडौसी खातेदारों के रूबरू सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान कर दिये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है।

पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उन्हें आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया जिस कारण से यह अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करावें।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी कानूनी एवं वाक्याती भूल की गई है क्योंकि

रेस्पो0 संख्या एक द्वारा वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी की कार्यवाही करवाये जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का निर्णय लिये जाने से पूर्व भूमि का सीमांकन करवाया जाना आवश्यक था, इस कानूनी बिन्दू को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्त होने योग्य है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपने खातेदारी खसरान भूमि के पडौसी खातेदारों को, यानि अपीलान्टस को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया, जो बनाया जाना आवश्यक था। इसलिये बिना पक्षकार बनाये प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार योग्य था और अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने आदेश में अंकित किया है कि पडौसी खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया है। रेस्पोडेन्ट उक्त पत्थरगढी आदेश के जरिये उनकी भूमि पर कब्जा प्राप्त करना चाहते है जबकि कब्जा पत्थरगढी करने से प्राप्त नहीं हो सकता, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दू पर भी कोई गौर नहीं किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त होने योग्य है। अतः उपरोक्त संमस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्टस स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.22 को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि उनकी एकल खातेदारी की भूमि खेत ख0सं0 247/2 ख0सं0 247/20 व ख0सं0 247/8 ग्राम ढाढणिया सांसण में आई हुई है जिस पर प्रार्थी खातेदार व काश्तकार काबिज काश्त करते आ रहे है। उनकी खसरान भूमि के पडौसी खेतों की सीमा के कोई पक्के मुटाम मौके पर नहीं है जिसके कारण उनकी भूमि की सीमा का ज्ञान नहीं है और हर समय पडौसी खातेदार सीमा विवाद को लेकर परेशान करते रहते है। अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए सीमाचिन्हों से नाप कर मौके पर भूमि की पत्थरगढी करवाने के आदेश प्रदान करावें।

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए तहसीलदार से जवाब प्राप्त किया गया तथा जबाव में रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र में अंकित वादग्रस्त भूमि के सहखातेदारों से सीमा विवाद होने के कारण उनकी भूमि की पत्थरगढी करवाना जाना उचित बताया गया। तत्पश्चात प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाने व पत्थरगढी करवाने का अधिकारी मानते हुए अपीलाधीन आदेश के जरिये तहसीलदार, बालेसर को यह निर्देशित किया गया कि उक्त खसरान भूमि की पैमाइश कर पडौसी खातेदारों के रूबरू सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। ऐसे में अपीलान्ट की अपील में यह अंकित करना कि उन्हें सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही में शामिल नहीं करना या अवसर प्रदान नहीं करना, का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अपीलान्ट चाहे तो सीमाज्ञान व पत्थरगढी की कार्यवाही के दौरान मौके पर रूबरू उपस्थित रहकर कार्यवाही में भाग ले सकते है।

पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं हुई है अतः अपीलान्टस की अपील सारहीन व आधारहीन होने से अस्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.2022 को बहाल रखा जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.11.2022 का एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो आदि का अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हितबद्ध काश्तकारान को पक्षकार नहीं बनाया जाकर एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है, लिहाजा अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे हितबद्ध काश्तकारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति में नियमानुसार सीमांकन की कार्यवाही राजस्व टीम द्वारा करवाई जावें। तत्पश्चात यदि आवश्यक हो तो विधिवत पत्थरगढी की कार्यवाही अमल में लाई जावें। निर्णय आज दिनांक 3 जुलाई, 2023 को सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर